मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल)

1. उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है। दिव्यांगजनों के प्रति जा्गरूकता बढाना, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करना है।

2. निधि का संवितरण

सम्बल के संचालन के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य की सहभागिता हेतु राज्यांश एवं लाभुकों को आवश्यक पूरक अनुदान राशि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

3. देय राशि

इस योजना अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु 2.00 लाख रू0 तक का ऋण देय होगा। परन्तु विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु छात्रवृति देय होगी जिसका दर गैर-दिव्यांगजन को देय दर से अन्यून होगा । अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप देय होगा।

4. पात्रता

- आयु सीमा स्वरोजगार ऋण के लिए 18-60 वर्ष तथा कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी।
- अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं न्यायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6-18 वर्ष होगी।
- आश्रय गृह (आशियाना/साकेत) हेतु लाभार्थी (पुरूष/महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

5. प्रक्रिया

विहित प्रपत्र में आवेदन कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए प्रखण्ड कार्यालय/ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण, दिव्यांग छात्रवृति के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा की जाती है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण के मामले में राशि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित निगम द्वारा लाभुक को उपलब्ध कराई जाती है। पिछड़ा वर्ग वित निगम से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते है तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते है। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जॉच दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय कार्यरत है जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

4. देय राशि

4.1 सम्बल

इस योजना अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु रू. 2.00 लाख तक का ऋण देय होगा। शिक्षा ऋण एवं छात्रवृत्ति का भुगतान इस के तहत नहीं होगा क्योंकि इसका भुगतान शिक्षा विभाग की योजनाओं से देय है। परन्तु विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु छात्रवृत्ति देय होगी जिसका दर गैर–दिव्यांगजन को देय दर से अन्यून होगा। अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। विशेष विद्यालय एवं आश्रय गृह के संचालन हेतु अनुदान प्रति लाभार्थी की दर से देय होगा जिसका निर्धारण निविदा के माध्यम से होगा।

4.2 सिपडा

इस योजना के अंतर्गत देय राशि का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के तहत दिव्यांगजन से तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :

5.1 सम्बल

इस योजना के तहत विशेष सहायता, अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान एवं राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में दिव्यांगजन एवं सेवा प्रदायी संस्था की पात्रता निम्नानुसार होगी:

(i) विशेष सहायता अंतर्गत सभी मामलों यथा विशेष विद्यालय में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु ऋण आदि के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा अधिकतम दो लाख रुपये तक होगी। साथ ही आयु सीमा स्वरोजगार ऋण के लिए 18–60 वर्ष तथा कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु अधिकतम 6 वर्षों तक ही देय होगा।

(ii) अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं न्यायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iii) विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6–18 वर्ष होगी।

(iv) आश्रय गृह (आशियाना/साकेत) हेतु लाभार्थी (पुरुष/महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

(v) आश्रय गृह (आशियाना/साकेत) एवं विशेष विद्यालय संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था की न्यूनतम अहर्ता समय–समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना ''सम्बल'':

सम्बल योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमन्द दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, शिक्षा/स्वरोजगार ऋण, प्रमाणीकरण आदि किया जाता है।

(i) **कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण :**

(क) कोई भी स्त्री/पुरुष।

(ख) उम्र–चलन्त दिव्यांगता के लिए 14 वर्ष से अधिक।

(ग) दिव्यांगता– न्यूनतम 40 प्रतिशत।

(घ) आय– एक लाख वार्षिक तक।

(ड़) आवेदन की प्रक्रिया– विहित प्रपत्र में (तिपहिया साइकिल/श्रवण यंत्र/वैशाखी/नेत्रहीनों के लिए श्वेत छड़ी हेतु) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/आय प्रमाण–पत्र/उम्र प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन–पत्र प्रखण्ड कार्यालय/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग–सह–जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में लिया जाता है।

(ii) **स्वरोजगार ऋण :** इसके तहत निम्नांकित उद्यम/व्यवसाय हेतु ऋण लिया जा सकता है :

(A) लघु उद्यम/लघु व्यवसाय में स्व–नियोजन (B) दिव्यांग उद्यमियों को सहायता (उत्पादन एवं उत्पाद क्षेत्र में) (C) कृषि कार्य के क्षेत्र में (D) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक साधन के निर्माण के लिए (E) कारीगरी एवं उद्यमी विकास कार्य के लिए यह ऋण लिया जाएगा।

(क) पात्रता : कोई भी स्त्री/पुरुष, संबंधित जिला के निवासी हों जहाँ से ऋण लिया जाना है।

(ख) उम्र : 18 वर्ष से 60 वर्ष तक।

(ग) अर्हता : न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत।

(घ) आय : अधिकतम दो लाख तक वार्षिक।

(ड़) ऋण की राशि : ऋण की अधिकतम राशि दो लाख होगा। भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है।

(च) आवेदन की प्रक्रिया : आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग–सह–जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्तों के साथ लिया जाएगा।

(iii) **प्रमाणीकरण :** सभी दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिले में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन समय–समय पर किया जाता है। उक्त शिविर में चिकित्सक दल द्वारा जाँचोपरान्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र दिया जाता है। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, को पेंशन का भी लाभ प्रदान किया जाता है। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला सदर अस्पताल में दिव्यांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है।

(iv) **नेत्रहीन विद्यालय का संचालन :** 06–18 वर्ष के आयु वर्ग के नेत्रहीन बच्चों के लिए राज्य में कुल 03 नेत्रहीन विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(v) **मूक–बधिर विद्यालय का संचालन :** 06–18 वर्ष के आयु वर्ग के मूक–बधिर बच्चों के लिए राज्य में कुल 05 मूक–बधिर विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(vi) **मानसिक मंद बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन':** इसका मुख्य उद्देश्य 06 से 18 वर्ष आयु के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' के माध्यम से देखभाल एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत 06 से 18 वर्ष तक के स्वपरायणता (Austism), प्रमस्तिष्क अंगघात (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता (Mental Retardation) तथा उससे संबंधित अन्य विकलांगता एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilties) से ग्रसित बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में पटना तथा गया जिला में 3 दिसम्बर, 2012 से विद्यालय प्रारंभ किया गया है तथा इसके माध्यम से 50 बच्चे प्रति विद्यालय को लाभ दिया जा रहा है।

(vii) **बहु–दिव्यांगता से संबंधित योजना:** राज्य सरकार द्वारा संप्रति सिर से जुडे संयुक्त जुड़वां बहनें सबा एवं फरहा शकील को रू. 20,000 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

विहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना

दिव्यांगजनों को भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना चलाई जा रही है।

- इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए **2 लाख रुपये तक का ऋण** दिया जाता है।
- कृत्रिम अंग, बैटरी चलित ट्राइसाइकिल एवं व्हील चेयर आदि **निःशुल्क** दिये जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें

https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/

0612-2200125 (कार्यालय अवधि - 9:30 AM to 6:00 PM)

सपने करती साकार बिहार सरकार

/iprdbihar @iprd_bihar

विहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना

पात्रता:

- स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए **उम्र 18 से 60 वर्ष** एवं पारिवारिक आय की सीमा **अधिकतम ₹2 लाख** तक होनी चाहिए।
- विशेष विद्यालय में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए आयु सीमा 6 से 18 वर्ष एवं पारिवारिक आय **अधिकतम ₹2 लाख** तक होनी चाहिए।
- 5 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग लाभार्थी, जिनकी **दिव्यांगता 40%** से अधिक हो को नियमानुकूल कृत्रिम अंग, बैटरी चलित ट्राइसाइकिल एवं व्हील चेयर निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें

https://online.bih.nic.in/SWF/SWFTC/

0612-2200125 (कार्यालय अवधि - 9:30 AM to 6:00 PM)

/iprdbihar @iprd_bihar

दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' : इस योजना अन्तर्गत अब तक कुल 17,275 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत वर्तमान में 8 विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 3 नेत्रहीन एवं 5 मूक–बधिर विद्यालय हैं।

वर्ष 2022–23 में 4879 चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री संचालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल वितरित किया गया है।